A PP. A
Crim-1

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत तहसीलदार मुकाम महवा

सरकार बनाम उम्मेदी पुत्र किशन बैरवा

किस्म मुकदमा धारा 91 LR Act. नं. 129/17 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30/8/17	पटवारी हल्का की रिपोर्ट दर्ज कर अतिक्रमी को राज. भू. राजस्व अधि. 1956 धारा 91 का नोटिस जारी कर पत्रावली दिनांक 3/10/2017 को पेश हो। तहसीलदार महवा, दौसा	
3/10/17	पत्रावली पेश हुई आवाज लगवाई गई अतिक्रमी उपस्थित नहीं आया है। अतिक्रमी के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर संलग्न पत्रावली है। तहसीलदार महवा (दौसा) राज.	

(28)

न्यायालय तहसीलदार महवा जिला दौसा (राज.)

मु.न. 129/17

सरकार बनाम श्री: उम्मेदी S/o किशन जाति बैरवा नि. रामगढ़

किस्म मुकदमा अन्तर्गत धारा 91 एल. आर. एक्ट

दिनांक 3/10/17

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । प्रकरण वृतान्त अनुसार पटवारी हल्का द्वारा एक रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 91 LR Act इस का पेश की गई कि अतिक्रमी श्री उम्मेदी पुत्र श्री किशन जाति बैरवा निवासी रामगढ़ तहसील महवा ने संवत 2074 फसल रबि / खरीफ मे ग्राम रामगढ़ की राजकीय आराजी खसरा नं. 248/2 रकबा 005 किस्म गैरमुमकिन भूमि से 005 रकबा पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कब्जा कर अतिचार कर लिया है।

रिपोर्ट प्रकरण दर्ज किया जाकर अतिक्रमी को राज.भू.-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया । नोटिस प्रति बाद तामिल शामिल पत्रावली है।

अतिक्रमी बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित रहा है अत अतिक्रमी के प्रति एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती हैं । अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया जाना प्रमाणित है। जो राज.भू.-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दण्डनीय है।

अत: अतिक्रमी को नाजायज रूप से अतिक्रमण करने पर अतिचारित रकबा से बेदखल किया जाना है व भूमि के वार्षिक लगान रूपये 1.85 का 50 गुना 92.50 रु राशि की शास्ति आरोपित कर दण्डित किया जाता है।

पटवारी व टी.आर.ए. को मांग कायमी एंव वसुली हेतु पटवारी हल्का व भू-अभिलेख निरीक्षक को बेदखली हेतु लिखा जावे । पत्रावली फैसल शुमार का जाकर नम्बर से कम हो। बाद तामिल व तकमील लेख भण्डार हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

तहसीलदार
महवा (दौसा) राज.

रजिस्टर ग/घ के पेज नं. 15 पर
वर्ष 2017-18 के ...
की ... 93 ...